Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 186-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 23, 2017 (ASVINA 30, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 23rd October, 2017

No. 39-HLA of 2017/93/20876.— The Haryana State Higher Education Council Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 39- HLA of 2017

THE HARYANA STATE HIGHER EDUCATION COUNCIL BILL, 2017

A

Bill

to promote academic excellence and social justice by obtaining academic input for policy formulation and perspective planning, ensuring autonomy and greater accountability of all institutions of Higher Education in the State and guiding the growth of Higher Education in accordance with the socio-economic requirements of the State as per the requirement of Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyaan and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana State Higher Education Council Act, 2017. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the Council;

(b) "Co-Chairperson" means the Co-Chairperson of the Council;

(c) "college" means a college or institution including autonomous college maintained or approved or affiliated to any University which provides facility of studying in syllabi from admission till examination;

(d) "Council" means the Haryana State Higher Education Council established under section 3;

(e) "Higher Education" means any education stream whether financial, technical including research studies that leads to award of degree, diploma or certificate but does not include Medical, Agriculture, Animal Husbandry and Horticulture stream;

(f) "institution" means an academic institution of Higher Education maintained by, or admitted to the privileges of the University;

(g) "member" means a member of the Council and includes the Chairperson, Co-Chairperson and Vice-Chairperson;

(h) "prescribed" means prescribed by the rules framed under this Act;

(i) "State" means the State of Haryana;

(j) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(k) "University" means any University established by an Act passed by the State Legislature;

(l) "University Grants Commission" means the Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (Central Act 3 of 1956);

(m) "Vice-Chairperson" means Vice-Chairperson of the Council.

Constitution of Council.

3. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute the Haryana State Higher Education Council consisting of the following members, namely:-

(a) An educationist with proven leadership qualities or a famous intellectual – Chairperson;

(b) Principal Secretary Higher Education Department-Co-Chairperson;

(c) An education administrator of all India repute who is or has worked at least on the post of Professor or equivalent post – Vice-Chairperson;

(d) A famous educationist who is or has worked on the post of Professor or equivalent post – Member Secretary;

(e) State Project Director – Member;

(f) A representative of Higher Education Department not below the rank of Deputy Director – Member;

(g) A representative of Technical Education Department not below the rank of Deputy Director – Member;

(h) A representative of Finance Department not below the rank of Joint Secretary – Member;

(i) 15 members from the field of Art, Science, Technology, Culture, Social Sector and Industry and Professional Education etc.- Member:

Provided that ten members of the Council shall be from the State and five members shall be of other State and shall be of national repute.

(j) Vice-Chancellors of any three Universities of the State – Member;

(k) Two Principals of autonomous or affiliated colleges – Member;

(l) One member nominated by the Ministry of Human Resource Development, Government of India – Member.

(2) The Council shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.

(3) The tenure of each nominated member shall be for a period of six years and one-third of the members shall retire after every two years. The Council shall nominate seven new members in every two years.

(4) The meeting of the Council shall be held once every three months.

(5) The quorum of the meeting of the Council shall be one-third of the total number of members including the Chairperson and the Member Secretary.

(6) The headquarter of the Council shall at such place, as may be specified by the State Government.

4. The first Chairperson of the Council shall be appointed by the State Government and shall continue as such till the Selection Committee selects a Chairperson under the provisions of this Act. First Chairperson.

5. (1) There shall be an advisory committee consisting of three members of repute academician or famous intellectual to search candidate for the selection of Chairperson. Advisory committee.

(2) Out of these three members, two members shall be nominated by the Council and one member shall be nominated by the State Government.

(3) The member nominated by the State Government shall be the Chairperson of the Selection Committee.

(4) The tenure of the Chairperson shall be for a period of five years.

(5) The Chairperson may be removed by the State Government, if his work and conduct is found unsatisfactory.

6. (1) The Selection Committee consisting of the following members shall select the Chairperson on the recommendation of the advisory committee, namely:- Selection Committee.

(a) the Speaker of the State Legislative Assembly;

(b) the Chief Minister;

(c) Leader of the Opposition in the State Legislative Assembly.

7. The Vice-Chairperson shall be appointed by the three members committee for a period of five years. The Chairperson of the Council shall be the Chairperson of this committee. The Vice-Chairperson may be removed on the recommendation of the Council. One member of the committee shall be nominated by the Council and one member shall be nominated by the State Government. Vice-Chairperson.

8. The Member Secretary shall be appointed by the three members committee for a period of five years. The Chairperson of the Council shall be the Chairperson of this committee. The Member Secretary may be removed on the recommendation of the Council. One member of the committee shall be nominated by the Council and one member shall be nominated by the State Government. Member Secretary.

9. The State Government shall remove a member if he,- Disqualification.

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Council, absent from three consecutive meetings of the Council.

(2) On a controversy regarding the disqualification of a member, the decision of the Chief Minister shall be final.

(3) No person shall be eligible to be nominated as a member of the Council unless he is a graduate.

10. The duties and functions of the Council shall be,- Duties and functions of Council.

(i) to frame policy of Higher Education for the State (Future Planning, Annual Planning and Budget);

(ii) to help the Higher Education Institutes of the State in planning and implementation;

(iii) to coordinate between the top institutes of education, regulatory bodies and State Government;

(iv) to invigilate and implement the planning of Higher Education;

(v) to manage, frame information system and its maintenance;

(vi) to collect data pertaining to Higher Education at Government level and institution level from time to time;

(vii) to evaluate the institutions of Higher Education in the State in accordance with the key performance indicators framed by National Higher Education Mission and if required, make parameters;

(viii) to plan and suggest measures for the continuous growth in teaching quality and research in the State;

(ix) to suggest reforms in examination system;

(x) to make syllabi contemporary and relevant;

(xi) to encourage innovation in research;

(xii) to safeguard the autonomy of the institutions of Higher Education of the State;

(xiii) to grant permission for the establishment of new institutions, colleges;

(xiv) to suggest measures to improve the procedures of the recognition;

(xv) to advice the State Government for policy wise investment in Higher Education;

(xvi) to advice the universities in making Regulations and Ordinances;

(xvii) to manage the amount received as contribution of National Higher Education Mission through the State Government;

(xviii) to make such procedures through which Grant in Aid of the State Government may be transferred to the institution of Higher Education;

(xix) to make and follow a transparent procedure to transfer the financial aid to universities and colleges under National Higher Education Mission.

Meetings of Council.

11. (1) The meetings of the Council shall be held as per requirement. However, it shall be mandatory to convene at least one meeting in three months.

(2) The Member Secretary of the Council shall convene the meeting of the Council on the advice of the Chairperson.

(3) The quorum of the meeting of the Council shall be one-third members of the total members of the Council.

Vacancy not to invalidate proceedings.

12. No act or proceedings of the Council shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy, absence of member or defect in the constitution of the Council.

Resignation.

13. Any member may forward a resignation letter to the Chairperson but shall remain as a member till he is informed in writing that his resignation has been accepted by the Chairperson.

Allowances to members.

14. The members shall be entitled to receive such travelling allowances, daily allowances, local expenses and participation fees, as may be specified by the State Government.

Emergent vacancies.

15. (1) If any emergent vacancy occurs due to death, resignation, retirement of a member or any other reason, then the State Government shall nominate or appoint a member.

(2) The tenure of the new member shall be for the remaining tenure of that member against whom he is nominated or appointed.

Annual account and audit.

16. (1) The account of the Council and the annual report of accounts shall be maintained in such manner, as may be prescribed.

(2) The accounts of the Council shall be audited by the auditor appointed by the Council.

(3) The Member Secretary shall be responsible for the publication of the annual report and make available the sealed copy of report to each member and presenting the same before the Council for approval.

(4) Mistakes/irregularity pointed out by the Auditor shall be rectified by the Council following due procedure.

(5) The audited report of the accounts of the Council shall be presented to the State Government within prescribed time limit alongwith the comments of the Council.

(6) After receiving the annual accounts and audit report, the State Government shall present it before the State Legislature as soon as possible.

Annual report.

17. (1) The Council shall present its annual report of its activities every year before the State Government.

(2) After receiving the annual accounts, the State Government shall present the same before the State Legislature at the earliest.

Protection of action taken in good faith.

18. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any public servant or the State Government in respect of any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Officers and employees of Council.

19. (1) The Council may appoint such officers and employees as may be deemed necessary for smooth functioning of the Council.

(2) The terms and conditions of the service of the officers and employees of the Council shall be such, as may be prescribed.

Members, officers and employees of Council to be public servants.

20. The members, officers and employees of the Council shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Power to make regulations.

21. The Council may make such regulations which are not in contradiction of the provision of this Act and which are essential for the function of the Council.

Power to make rules.

22. The State Government may make the rules, to carry out the purposes of this Act.

Power to remove difficulties.

23. (1) If any difficulties arise in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, make such provisions, which are not relevant to the provisions of this Act, which appear necessary or expedient.

(2) Any order made under this section, after making, shall be placed before the Legislative Assembly.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The National Education Policy and Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyaan recommend that State level planning and co-ordination of Higher Education including University Education shall be done through an independent, autonomous council for Higher Education. The State Government considers it expedient to establish a State Council for Higher Education as a collective of the Government, Universities, academics and experts with a view to forge a synergic relationship among them by occupying an operational space between the Government and the Universities and Colleges on one hand and between the Universities/Colleges and apex level regulatory bodies on the other. The Government further considers that by establishing the Council it would create an enabling environment for-

(a) Promoting academic excellence and social justice by obtaining academic input for policy formulation and perspective planning.

(b) Ensuring autonomy and greater accountability of all institutions of higher education in the State.

(c) Guiding the growth of higher education in accordance with the socio-economic requirements of the State.

Accordingly, it is proposed to establish the Haryana State Higher Education Council as an autonomous authority.

Hence, this Bill.

RAM BILAS SHARMA,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 23rd October, 2017.

R.K.NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Section 22 of the proposed Bill empowers the State Government to make Rules to carry out the purposes of the Act, This delegation of power of the Council is of normal character and no where over-rides the normal scope of delegation of legislative powers. Hence, this memorandum is annexed to meet the requirement of Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2017 का विधेयक संख्या–39 एच.एल.ए.

हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् विधेयक, 2017

राज्य में उच्चतर शिक्षा की सभी संस्थाओं की स्वायत्तता और बृहद उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए पॉलिसी सूत्रीकरण और भावी योजना के लिए शैक्षणिक इनपुट प्राप्त करते हुए शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय प्रोन्नत करने के लिए और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की आवश्यकता के अनुसार राज्य की सामाजिक–आर्थिक अपेक्षाओं के अनुसार उच्चतर शिक्षा के विकास के मार्गदर्शन और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम। **1.** यह अधिनियम हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

परिभाषाएं। **2.** इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, परिषद् का अध्यक्ष ;

(ख) ''सह–अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, परिषद् का सह–अध्यक्ष ;

(ग) ''महाविद्यालय'' से अभिप्राय है, किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या अनुमोदित या सहबद्ध स्वायत्त महाविद्यालय सहित कोई महाविद्यालय या संस्था जो प्रवेश से परीक्षा तक पाठ्यक्रम में अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है ;

(घ) ''परिषद्'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् ;

(ङ) ''उच्चतर शिक्षा'' से अभिप्राय है, अनुसंधान अध्ययन, जो डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करता है, सहित कोई वित्तीय, तकनीकी शिक्षा स्ट्रीम किन्तु इसमें चिकित्सा, कृषि, पशुपालन तथा उद्यान स्ट्रीम शामिल नहीं है;

(च) ''संस्था'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त कोई उच्चतर शिक्षा शैक्षणिक संस्था ;

(छ) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, परिषद् का सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष, सह–अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष शामिल हैं ;

(ज) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(झ) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;

(ञ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ट) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है, राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय ;

(ठ) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 3) के अधीन स्थापित आयोग ;

(ड) ''उपाध्यक्ष'' से अभिप्राय है, परिषद् का उपाध्यक्ष।

परिषद् का गठन। **3.** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का गठन करेगी, अर्थात् :–

(क) प्रमाणित नेतृत्व योग्यता रखने वाला कोई शिक्षाविद् या विख्यात बुद्धिजीवी – अध्यक्ष ;

(ख) प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग – सह–अध्यक्ष ;

(ग) अखित भारतीय ख्यातिप्राप्त शिक्षा प्रशासक, जो कम से कम आचार्य या इसके समकक्ष पद पर है या कार्य किया हो – उपाध्यक्ष ;

(घ) विख्यात शिक्षाविद् , जो कम से कम आचार्य या इसके समकक्ष पद पर है या कार्य किया हो – सदस्य सचिव ;

(ङ) राज्य परियोजना निदेशक – सदस्य ;

(च) उच्चतर शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि जो उप निदेशक की पदवी से नीचे का न हो – सदस्य ;

(छ) तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि जो उप निदेशक की पदवी से नीचे का न हो – सदस्य ;

(ज) वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो – सदस्य ;

(झ) कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, सामाजिक सैक्टर तथा उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र से 15 सदस्य – सदस्य :

परन्तु परिषद् के 10 सदस्य राज्य से होंगे तथा पांच सदस्य अन्य राज्यों से होंगे तथा राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त होंगे।

(ञ) राज्य के किन्हीं तीन विश्वविद्यालयों के कुलपति – सदस्य ;

(ट) स्वायत्त या सहबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य – सदस्य ;

(ठ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य – सदस्य।

(2) परिषद्, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा रखने वाली उपरोक्त नाम से निगमित निकाय होगी तथा उस पर उक्त नाम से वाद होगा तथा वाद चला सकेगी।

(3) प्रत्येक नामनिर्दिष्ट सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होंगे। परिषद् प्रत्येक दो वर्ष में सात नए सदस्य नामनिर्दिष्ट करेगी।

(4) परिषद् की बैठक प्रत्येक तीन मास में एक बार आयोजित की जाएगी।

(5) परिषद् की बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव सहित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी।

(6) परिषद् का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. परिषद् का प्रथम अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा ऐसे रूप में तब तक बना रहेगा, जब तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन चयन समिति उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लेती है। प्रथम अध्यक्ष।

5. (1) अध्यक्ष के चयन के लिए उम्मीदवार खोजने हेतु ख्यातिप्राप्त परिषत्सदस्य या विख्यात बुद्धिजीवी तीन सदस्यों से मिलकर बनने वाली सलाहकार समिति होगी। सलाहकार समिति।

(2) तीन सदस्यों में से दो सदस्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा एक सदस्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(4) अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(5) अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, यदि उसका कार्य तथा आचरण असंतोषजनक पाया जाता है।

6. (1) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली चयन समिति, सलाहकार समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष का चयन करेगी, अर्थात् :– चयन समिति।

(क) राज्य विधान सभा का अध्यक्ष ;

(ख) मुख्य मंत्री ;

(ग) राज्य विधान सभा में प्रतिपक्ष का नेता।

उपाध्यक्ष।

7. उपाध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए तीन सदस्यी समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। परिषद् का अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष परिषद् की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। समिति का एक सदस्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

सदस्य सचिव।

8. सदस्य सचिव पांच वर्ष की अवधि के लिए तीन सदस्यी समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। परिषद् का अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होगा। सदस्य सचिव परिषद् की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। समिति का एक सदस्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अयोग्यताएं।

9. (1) राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाएगी, यदि वह,–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है ;

(ख) ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध तथा ऐसे कारावास से दण्डादेश हो गया है, जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता है ;

(ग) विकृत चित्त हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ;

(ङ) परिषद् से अनुपस्थिति का अवकाश प्राप्त किए बिना, परिषद् की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है।

(2) किसी सदस्य की अयोग्यता के सम्बन्ध में किसी विवाद पर, मुख्य मंत्री का निर्णय अन्तिम होगा

(3) कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में तब तक नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, जब तक वह स्नातक न हो।

परिषद् के कर्तव्य तथा कृत्य।

10. परिषद् के निम्नलिखित कर्तव्य तथा कृत्य होंगे,–

(i) राज्य (भावी योजना, वार्षिक योजना तथा बजट) के लिए उच्चतर शिक्षा की पॉलिसी बनाना ;

(ii) योजना तथा कार्यान्यवन में राज्य की उच्चतर संस्थाओं की सहायता करना ;

(iii) शीर्ष शिक्षा संस्थाओं, नियामक निकायों और राज्य सरकार के बीच समन्वय करना ;

(iv) उच्चतर शिक्षा की योजना का अधीक्षण तथा कार्यान्वयन करना ;

(v) प्रबन्ध करना, सूचना प्रणाली बनाना तथा इसका रख–रखाव करना ;

(vi) सरकार के स्तर तथा संस्था के स्तर पर उच्चतर शिक्षा से संबंधित डाटा का समय–समय पर संग्रहण करना ;

(vii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन द्वारा बनाई गई मूल अनुपालन सूचना के अनुसार राज्य में उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो, तो मानदण्ड बनाना ;

(viii) राज्य में अध्यापन गुणवत्ता तथा अनुसंधान में निरन्तर वृद्धि के लिए योजना बनाना तथा उपायों का सुझाव देना ;

(ix) परीक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए सुझाव देना ;

(x) समसामयिक तथा सुसंगत पाठ्यक्रम बनाना ;

(xi) अनुसंधान में नवपरिवर्तन को बढ़ावा देना ;

(xii) राज्य की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्ता की सुरक्षा करना ;

(xiii) नई संस्थाओं, महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्रदान करना ;

(xiv) मान्यता की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए उपाय सुझाना ;

(xv) उच्चतर शिक्षा में पॉलिसी वाईज निवेश के लिए राज्य सरकार को मन्त्रणा देना ;

(xvi) विनियमों तथा अध्यादेशों को बनाने में विश्वविद्यालयों को मन्त्रणा देना ;

(xvii) राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन से अंशदान के रूप में प्राप्त राशि का प्रबन्ध करना ;

(xviii) ऐसी प्रक्रिया बनाना जिसके माध्यम से राज्य की अनुदान–सहायता उच्चतर शिक्षा संस्थान को अन्तरित की जा सकती है ;

(xix) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन के अधीन विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता के अन्तरण की पारदर्शी प्रक्रिया को बनाना तथा अनुसरण करना।

परिषद् की बैठकें।

11. (1) परिषद् की बैठकें आवश्यकतानुसार होंगी। तथापि, तीन मास में कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी।

(2) परिषद् का सदस्य सचिव अध्यक्ष की मन्त्रणा पर परिषद् की बैठक बुलाएगा।

(3) परिषद् की बैठक की गणपूर्ति परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से होंगी।

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अमान्य न होना।

12. परिषद् का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाहियां केवल किसी रिक्ति के अस्तित्व, सदस्य की अनुपस्थिति अथवा परिषद् के गठन में त्रुटि के आधार पर अमान्य नहीं होगी।

त्यागपत्र।

13. कोई सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र भेज सकता है, किन्तु वह तब तक सदस्य के रूप में बना रहेगा जब तक उसे लिखित में सूचित नहीं किया जाता है कि उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

सदस्यों के भत्ते।

14. सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, स्थानीय व्यय और सहभागिता फीस, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आपात रिक्तियां।

15. (1) यदि किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या किसी अन्य कारण से कोई आपात रिक्ति होती हैं, तो राज्य सरकार कोई सदस्य नामनिर्दिष्ट या नियुक्त करेगी।

(2) नये सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य, जिसके विरूद्व वह नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया है, के शेष कार्यकाल के लिए होगा।

वार्षिक लेखे और संपरीक्षा।

16. (1) परिषद् के लेखे तथा लेखों की वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रखी जाएगी।

(2) परिषद् के लेखे परिषद् द्वारा नियुक्त लेखा–परीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे।

(3) सदस्य सचिव वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन और प्रत्येक सदस्य को रिपोर्ट की सीलबंद प्रति उपलब्ध करवाने तथा उसे अनुमोदन के लिए परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होगा।

(4) लेखा–परीक्षक द्वारा बताई गई गलतियां/अनियमितता सम्यक् प्रक्रिया अपनाते हुए परिषद् द्वारा सुधारी जाएगी।

(5) परिषद् के लेखों की संपरीक्षित रिपोर्ट परिषद् की टिप्पणियों सहित राज्य सरकार को विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(6) वार्षिक लेखे और संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकार इसे यथा सम्भव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

17. (1) परिषद् राज्य सरकार के समक्ष प्रत्येक वर्ष अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(2) वार्षिक लेखे प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकार उन्हें यथा शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

18. किसी बात, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में की गई है या की जाने के लिए आशयित है, के कारण हुई या होने वाली सम्भाव्य किसी क्षति के संबंध में किसी लोक सेवक या राज्य सरकार के विरूद्व कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

परिषद् के अधिकारी और कर्मचारी।

19. (1) परिषद् ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकती है जो परिषद् के निर्बाध कार्य के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(2) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

परिषद् के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

20. परिषद् के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

विनियम बनाने की शक्ति।

21. परिषद् ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों के परस्पर विरोध में न हों और जो परिषद् के कार्य के लिए आवश्यक हैं।

नियम बनाने की शक्ति।

22. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत न हो तथा जो आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, कर सकती है।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश, बनाये जाने के बाद, विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की अनुशंसा है कि राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा की योजना एवं समन्वय स्वायत्त राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के माध्यम से हो। राज्य सरकार आवश्यक समझती है कि हरियाणा उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना हो जिसमें राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, शैक्षिक जगत एवं विशेषज्ञों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था बनाए जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार में उच्चतर शिक्षा के संबंध में समन्वय बन सके, जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की उच्च स्तर की नियामक संस्थाओं के साथ सकारात्मक संबंधों का निर्माण हो सके। परिषद् की स्थापना से निम्न उद्देश्य पूर्ण होंगेः–

(क) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माण एवं भविष्य की योजनाएं बनाकर उच्चतर शिक्षा जगत में सामाजिक न्याय एवं उत्कृष्टता स्थापित हो सके।

(ख) राज्य के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता एवं दायित्वबोध की व्यवस्था बने।

(ग) राज्य एवं राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की आवश्यकता के अनुसार उच्चतर शिक्षा की दिशा एवं विकास की योजना निर्धारित हो सके।

प्रस्तावित है कि हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित की जाये।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

राम बिलास शर्मा,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 23 अक्तूबर, 2017.

आर.के. नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान सभा में ज्ञापन

प्रस्तावित बिल की धारा 22 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। परिषद् की शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है और कही भी विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप को प्रत्यादिष्ट नहीं करता। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों 126 की पूर्ति के लिए यह ज्ञापन अनुबंधित है।

55706—H.V.S.—H.G.P., Chd.